



प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026

विषय : विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-4) के माध्यम से विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशा० विभाग द्वारा सम्यक विचार कर मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2026-वे0आ0-2- /दस-2026. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01
- (2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।